कार्यालय जिला पंचायत, खीरी।

पत्रांक 223 / ला0लि0 / जि0पं0 / 2020–21 दिनांक 18 सितम्बर, 2020

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन प्रचार–प्रसार करने वाली सभी संस्थाओं / व्यक्तियों को विज्ञापन पट, व्यास एवं दीवार प्रचार–प्रसार तथा अन्य प्रचार कार्य को विनियमित एवं नियन्त्रित किये जाने के उद्वेश्य से जिला पंचायत, खीरी द्वारा उपविधि तैयार की गयी है। जो दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को सरकारी गजट में प्रकाशित की गयी है, प्रकाशन की तिथि से जनपद में प्रभावी है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन पट, व्यास एवं दीवार प्रचार–प्रसार तथा अन्य प्रचार कार्य हेतु निर्धाति शुल्क वसूली के ठेका का नीलाम दिनांक 26.09.2020 व 29.09.2020 को समय 2.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत, खीरी में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र अथवा तहसील स्तर पर सम्पन्न किया जायेगा। जिन तहसील क्षेत्रों का नीलाम उक्त दिनांकित तिथियों को सम्पन्न नहीं हो सकेगा, उनका महीने के प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालय जिला पंचायत, खीरी में सम्पन्न कराया जायेगा।

नीलामी में भाग लेने हेतु जनपद के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए जमानत धनराशि रू0 10,000/– तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर जमानत धनराशि रू0 5,000/– जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि तुरंत जमा करना अनिवार्य होगा। नीलाम स्वीकृति का अधिकार मा0 अध्यक्ष, महोदया में निहित होगा। अन्य जानकारी कार्यालय दिवस में किसी भी दिन की जा सकती है।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, खीरी

(सुमन नरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, खीरी